



Date: 24 June 2020

Prof. Nalini Pandey Chief Provost

NOTICE FOR HOSTEL STUDENTS

- 1. Students will be allowed to reside in the hostel 7 days prior to the date of commencement of their examination.
- 2. Students should inform the hostel Provost of their date of arrival.
- 3. All guidelines of the government for COVID -19 would be followed strictly.
- 4. Sanitization of the hostels along with thermal scanning of students will be done regularly.
- 5. Students should have their personnel masks, gloves and hand sanitizers.
- 6. Students should come with all their personnel requirements of daily use and medicines, as they will not be allowed to leave the hostel premises except to give their exams or for an emergency situation.
- 7. No visitors or guest will be allowed in hostel premises and strict disciplinary action will be taken if any outsider is found in the hostel premises.

(Prof. Nalini Pandey)

Nalini Pandey





Prof. Nalini Pandey Chief Provost

Date: 24 June 2020

नोटिस

छात्रवासों में रहने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश:-

- 1. समस्त छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा देने हेतु छात्रावासों में अपनी परीक्षा के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व रहने के लिए आ सकते हैं।
- 2. छात्रों को अपने छात्रावासों के अभिरक्षक को अपने आने की तिथि के बारे में एक सप्ताह पूर्व सूचित करना होगा।
- 3. Covid-19 से बचाव से संबंधित सभी दिशा-निर्देश अनिवार्य रूप से मान्य होंगे।
- 4. छात्रावासों का सैनाइटेजशन और छात्रों की थर्मल स्कैनिंग नियमित रूप से कराई जाएगी।
- 5. छात्रों के पास अपने निजी प्रयोग के लिए अपने मास्क, हैंड सेनेटाइजर और दस्ताने होने चाहिए।
- 6. छात्रों को अपनी निजी आवश्यकता का सामान, दवाइयाँ एवं अन्य दैनिक आवश्यकता का सामान आदि ले कर आना चाहिए क्यों की वह छात्रावास से बाहर केवल परीक्षा देने जा सकते हैं।
- 7. किसी भी बाहरी व्यक्ति का छात्रावास परिसर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Nalini Pandey (नलिनी पाण्डेय)